payment to the next of the kin of the deceased.

कोल इंडिया लिमिटेड में सलाहकार

679. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में कई सलाहकार कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक ओर तो सलाहकारों की नियुक्ति तथा दूसरी ओर अधिशेष कर्मचारियों और अधिकारियों की छंटनी का मामला है, इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन सलाहकारों के माफिया लोगों तथा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध कायम हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० जो एक धारक कंपनी है, ने क्रमशः भूमि अधिग्रहण के मामलों तथा पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित अध्ययनों को तैयार किए जाने के लिए दो पूर्णकालिक सलाहकार, परामर्शदाता नियुक्त किया है। कंपनी विभिन्न निकायों में परामर्शदाताओं का एक पैनल भी रखती है, जिनकी सेवाओं का उपयोग जिनकी विशेषज्ञता क्षेत्रों में जब भी आवश्यकता होती है तब अस्थायी आधार पर किया जाता है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी नहीं होती है। किन्तु सरकार ने कंपनी की सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया को जारी न रखने की सलाह दी है।

(घ) इन सलाहकारों का माफिया अथवा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। इस संबंध में किसी तरह की जांच नहीं की गई है।

कोयले के ग्रेड में परिवर्तन से संबंधित आंकड़े

680. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० के पास ग्रेड "ई" कोयले को ग्रेड "डी" कोयले में परिवर्तित करने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस अधिकारी का पदनाम क्या है, जो परिवर्तन के उक्त कार्य के लिए प्राधिकृत है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) जैसाकि कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने सूचित किया है कि सामान्यतः आबंटित किए गए "ई" ग्रेड के कोयले के आबंटियों को ग्रेड "डी" कोयले में परितवर्तित नहीं किया जाता है। किन्तु आबंटित ग्रेड के कोयले की अनुपलब्धता होने तथा उपभोक्ताओं को कठिनाइयों के बचाने के लिए, अगले उच्च ग्रेड के कोयले को आबंटित कर दिया जाता है। निम्न ग्रेड के आबंटित व्यक्तियों को कोयले के उच्च ग्रेड में परिवर्तित करना इस विषय में बिक्री नीति निदेशों के अनुसार किया जाता है, जिसका कि दिनांक 4.5.89 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की 5वीं बैठक तथा कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड ने अपनी 102वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया था। इस निर्णय से संबंधित सार नीचे दिया गया है:—

"रेल द्वारा — ऐसी कोलिरियां जहां कि रैक्स में केवल मिश्रित ग्रेड के कोयले के उठान की सुविधा है, सहायक कंपनियां समीपस्थ उच्च या निम्न ग्रेड के कोयले के लिए अपनी रज़ामंदी दे देती हैं ताकि लदान में किसी तरह की कठिनाई न हो तथा रैक्स न बन सकें।

सड़क द्वारा — सड़क से संयोजित उपभोक्ताओं को संयोजित ग्रेड से उच्च ग्रेड के कोयले को जारी किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए जबकि संयोजित कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रेषित किए जाने

के लिए संयोजित ग्रेड का कोयला कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

ऐसे सभी मामलों में कोयले की सुपुर्दगी किए जाने से पूर्व उपभोक्ता को निचले तथा उच्च ग्रेड के कोयले के बीच की राशि के अन्तराल की अदायगी की जानी अपेक्षित है।"

व्यक्तिगत मामलों में ऐसे निर्णय सहायक कंपनियों में लिए जाते हैं। पिछले वर्ष ऐसे परिवर्तित किए गए मामलों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है, चूंकि ऐसे ब्यौरों को क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित करना पड़ता है, जिसमें काफी समयावधि लगती है। यह बात महसूस की गई है कि ऐसे ब्यौरों को एकत्रित किए जाने तथा संग्रहण किए जाने में लगने वाली समयावधि तथा अपेक्षित प्रयास, जिस प्रयोजन के लिए ये एकत्रित किया जाता है, उसके अनुरूप नहीं होंगे।

Amendment in the Colliery Control Order, 1945

681. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Colliery Control Order, 1945, in order to have wider implications on the Coal Sector;

(b) if so, what are the main points of amendment that are being considered in amending the Colliery Control Order, 1945;

(c) whether the amendments are being worked out in consultation with the World Bank which is extending a $ 500 M. time-slice loan to Coal India;

(d) if so, whether the amendment is not required to be passed by Parliament and can be amended by the Ministry itself; and

(e) to what extent the amendement will he helpful?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (e) Presumably the Hon'ble Member is referring to the recommendations of Bureau of Industrial Costs and Prices for decontrol of prices of coking coal and higher grades of non-coking coal. The recommendations if accepted may need some amendments to Colliery Control Order or notifications issued under that Order. Since the recommendations are yet to be accepted there is no proposal to amend the said Order for the present. The amendments to the Order can be made by the Ministry but these are laid on the Tables of both the Houses of Parliament and to that extent these powers are subject to scrutiny by Parliament. Policy decisions such as decontrol of prices are taken by Govt. on marits of each case including demand and availability etc. and not under terms of any loan negotiated with World Bank or any other multilateral or bilateral lending agencies.

Adverse Impact of Dunkel proposals on PDS

682. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that apprehensions have been raised about the adverse impact of the Dunkel proposals on the Public Distribution System in the Country; and

(b) if so, what action has been taken by Government to allay these fears?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The misapprehensions were based upon the ambiguous wording of the Draft Final Act of the Uruguay Round. In Final Act India has ensured that there is an explicit provision that supply of foodstuffs at subsidised prices to urban and rural poor under the PDS is not affected by the disciplines of the Uruguay Round Agreement on Agriculture.